भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1413
सोमवार, 01 जुलाई, 2019/10 आषाढ़, 1941 (शक)

प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना

1413. डॉ॰ आलोक कुमार सुमनः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या शहरी गरीब परिवारों की निर्धनता और दुर्बलता को दूर करने के लिए कोई उपाय किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो संबंधित केन्द्र-प्रायोजित योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ग) क्या प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना ने नियोक्ताओं के माध्यम से रोजगार का सृजन किया है; और

(घ) यदि हां, तो कुल लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) एवं (ख): आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय शहरी निर्धन परिवारों की निर्धनता एवं अरक्षितता को कम करने के लिए "दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)" का कार्यान्वयन कर रहा है, जिससे धारणीय आधार पर उनकी आजीविका में सुधार हेतु लाभप्रद स्व-रोजगार एवं कुशल मजदूरी रोजगार अवसरों तक उनकी पहुंच बन सके। डीएवाई-एनयूएलएम के सात घटक हैं, अर्थात् (i) सामाजिक संघटन एवं संस्था विकास (एसएमएंडआईडी), (ii) क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण (सीबीएंडटी), (iii) कौशल प्रशिक्षण और नियोजन के माध्यम से रोजगार (ईएसटीएंडपी), (iv) स्व-रोजगार कार्यक्रम (एसईपी), (v) शहरी बेघरों हेतु आश्रय के लिए योजना (एसयूएच), (vi) शहरी फेरीवालों को सहायता (एसयूएसवी) तथा (vii) नवप्रवर्तन एवं विशेष परियोजनाएं (आईएंडएसपी)।

(ग) एवं (घ): श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत, सरकार, सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु ईपीएफ एवं ईपीएस के लिए 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है। इस योजना का दोहरा लाभ है। इसमें जहां एक ओर नियोक्ताओं को प्रतिष्ठानों में कामगारों के रोजगार आधार को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में इन कामगारों की संगठित क्षेत्र के सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुंच होगी। 26 जून, 2019 तक 1.21 लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

*****